

19/2/20 पत्रावली पेश हुई। कृपया उपरिष्ठ राज्य
सरकार शब्द (ग्रुप-6) विभाग के
नोटिफिकेशन क्रमांक 1 (17) REV/-6/2019/
112 दिनांक 17/10/2019 के तहत बिना
कलेक्टर द्वारा पारित आदेश की प्रथम
अपील अन्वयि धारा 75 एन.आर.ए.ए.
की सुनवाई किये जाने की शक्तियां
प्रयुक्त करने का अधिकार वेजाधिनार-
संभागीय आयुक्त को कर किये जाने से
पत्रावली संभागीय आयुक्त जोधपुर
को स्थानांतरित की जाती है। पत्रावली
नम्बर से नामों की जानकारी संभागीय आयुक्त
जोधपुर को मिलवाई जावे। उक्त पक्ष
एवं उनके अधिवक्तागण दिनांक 24/3/2020
को संभागीय आयुक्त जोधपुर के
स्थायालय में उपस्थित हों।

Noticed
24/3/20
Noticed
24/3/20
अपील नम्बर 183

19/2/20
19/2/20
19/2/20